

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड इलाहाबाद सिकराय

सरकार बनाम राम रघुलाली

किस्म मुकदमा याच मु० नं० 77/19

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------------------|---|--|
| <p>28/12/19 1-3</p> | <p>जिसका सरकार द्वारा याच यकी पेश किया गया था संतर होकर दि 8-5-19 को पेश</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अदालत सिकराय जिल्ला-बेला</p> | <p>राम रघुलाली मुकदमा</p> |
| <p>28/3/19</p> | <p>पत्रावली पेश हुई पेशकार (सरकार उपस्थित) पेशकार सरकार को सुनाया गया पत्रावली का भावपूर्ण कि बहस का मसन किया। सह खातेदारों द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। मुताबिक सहमति पत्र भंडुसार उरुस्तीकरण का निर्देश किया गया। सहमति पत्र पर पत्रकार व पटवारी मु कसिलेख निरीक्षण व लहलीलदार सिकराय की रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। जिस पर उरुस्तीकरण का निर्देश किया। ऐसी स्थिति में मुताबिक सहमति पत्र उरुस्तीकरण के योग्य हैं एवं सहमति पत्र दिनांक 20-3-19 भी निर्णय व डिग्री का भाग रहेगी। नतः दावावादी स्वीकार किया जाता है तथा विवादिक खसरा नं. 50 - 650/55 कुल भित्ति 2 कुल रकम 12.04 ल है वरिष्ठ राम उदयपुर लहल सिकराय के राजस्व रिक्वाउ में सहमति दि० 20-3-19 के मुताबिक उरुस्तीकरण के आदेश लहलीलदार सिकराय को दिए जाते हैं। निर्णय में हार लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अदालत सिकराय जिल्ला-बेला</p> | |